



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**रिट - ए संख्या - 10554 सन् 2024**

दीपक खरवार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरीश चंद्रा, विकास कुमार तिवारी  
उत्तरदातागण के अधिवक्ता सी.एस.सी.

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,**

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कुमार तिवारी और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना।
2. चूंकि पक्षों के बीच प्रति शपथपत्र एवं प्रतिउत्तर शपथपत्र का आदान-प्रदान किया जा चुका है, इसलिए रिट याचिका पर पक्षों की सहमति से अंगीकरण के चरण में ही निर्णय लिया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके पिता, श्री लालजी प्रसाद (अब मृतक) को राज्य कर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हुए थे। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, मृतक अपने पीछे निम्नलिखित वारिसों को छोड़ गया है, जिनमें रिट याचिकाकर्ता कुसुम लता (बहन), दीपा (पुत्री), किरण (पुत्री), जय कुमार (पुत्र), सरोज देवी (बहू), सिद्धि और रिद्धि (पोती), दीपक, सोनम देवी (बहू), मनोज (पुत्र) शामिल हैं। रिट याचिकाकर्ता स्वयं को शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करता है और पारिवारिक पेंशन के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता है। चूंकि इसे स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर करके उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गोरखपुर को निर्देश देने की माँग की है कि वह नई परिवार पेंशन योजना, 1965 के माध्यम से यथा संशोधित दिनांक 24.08.1966 के शासनादेश को ध्यान में रखते हुए विकलांग कोटा के अधीन पारिवारिक पेंशन प्रदान करे। यद्यपि, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, रिट याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित दावे को 1<sup>अप्रैल</sup>, 2023 को उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, गोरखपुर द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसे संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई थी। संशोधन आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था।

4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि रिट याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है क्योंकि इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 28.06.2007 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था और साथ ही 01.06.2017 को एक विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। वह प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार है, भले ही वह उस संबंध में विवाहित हो। यह दलील भी दी गई है कि केवल इसलिए कि नामांकन स्तंभ या सेवा अभिलेख में रिट याचिकाकर्ता की शारीरिक विकलांगता के बारे में मृतक द्वारा कोई खुलासा नहीं किया गया था, यह उक्त लाभों से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर तब, जब उक्त लाभ शासनादेशों के माध्यम से एक कल्याणकारी विधिव्यवस्था के आधार पर दिए गए हों। इस संबंध में एक समन्वय पीठ के निर्णय **मो. जमील बनाम प्रबंध निदेशक, कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी (केईएससीओ) और 2 अन्य, 2024 लॉ सूट (इला0) 1175**, पर भरोसा किया गया है।

5. श्री एस.के. पाल, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ता की विकलांगता को दर्शाने वाला उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र शायद प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया है क्योंकि आदेश से ही पता चलता है कि मृतक ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था कि पेंशन के लिए कागजात जमा करने के समय रिट याचिकाकर्ता एक विकलांग व्यक्ति है। यद्यपि, वह प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता एक विवाहित व्यक्ति है और वह स्वयं को संभाल सकता है।

6. मैंने प्रतिरोध में किए गए प्रस्तुतीकरण को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. पक्षों के बीच विवाद की जड़ यह है कि क्या रिट याचिकाकर्ता विकलांगता के आधार पर पारिवारिक पेंशन दिए जाने का हकदार है। यद्यपि रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि 80% की विकलांगता को दर्शाता हुआ एक प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा 28.06.2007 को जारी किया गया है, उसके बाद

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



01.06.2017 को दूसरा जारी किया गया है, लेकिन आक्षेपित आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट नहीं है कि यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त प्रमाण पत्र प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश

इस तथ्य को दोहराता है कि मृतक ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि उसका पुत्र अर्थात् रिट याचिकाकर्ता विकलांग था। यद्यपि दिनांक 27.10.2016 के शासनादेश और एक अन्य शासनादेश पर भरोसा किया गया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि रिट याचिकाकर्ता अपने विवाह के बावजूद पारिवारिक पेंशन के भुगतान का हकदार होगा, लेकिन इस न्यायालय को, बीच में आए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उक्त मुद्दे पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि, इसके विपरीत, यह रिट याचिकाकर्ता का दायित्व है कि वह अपना दावा करते हुए दूसरे उत्तरदाता से संपर्क करे, जिसे विधि के अनुसार सख्ती से तय किया जाएगा।

8. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता को 27.02.2026 तक दूसरे उत्तरदाता, उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, गोरखपुर के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति, आदेश की प्रमाणित प्रति और विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, इसके बाद, उक्त आवेदन पर कार्यवाई करते हुए, उत्तरदाता रिट याचिकाकर्ता के मामले की जांच करेगा, इस दौरान वह उक्त विकलांगता प्रमाण पत्र की वास्तविकता और सत्यता के बारे में गहन जांच करेगा और दो महीने की अवधि के भीतर एक आदेश पारित करेगा। दूसरे उत्तरदाता द्वारा पारित दिनांक 01.04.2023 का आदेश उस संबंध में पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन होगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

फ़रवरी 3, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"